

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 161 / 2014  
संस्थान दिनांक 20.03.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, अंजड,  
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. रामसिंग पिता जगन जाति भील, आयु 35 वर्ष,  
निवासी तलवाडा बुजुर्ग थाना अंजड,  
जिला बडवानी म0प्र0
2. जामसिंग पिता जगन जाति भील, आयु 30 वर्ष,  
निवासी तलवाडा बुजुर्ग थाना अंजड जिला बडवानी म0प्र0

-----अभियुक्तगण

---

// निर्णय //  
**(आज दिनांक 13.12.2017 को घोषित )**

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 21/2014 में दिनांक 29.01.2014 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 324 का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंने दिनांक 29.01.2014 को ग्राम तलवाडा बुजुर्ग में रात्रि लगभग 8 बजे फरियादी नरसिंह को धारदार वस्तु पत्थर से मारपीटकर स्वैच्छया उपहति कारित की।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी आरोपीगण का सगा भाई है, तथा उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि, फरियादी द्वारा आरोपीगण से राजीनामा करने के आधार पर आरोपीगण को भादसं0 की धाराओं 294,323,506 भाग-2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि0 29.01.2014 को रात्रि लगभग 8 बजे फरियादी अपने घर पर था तो आरोपीगण ने उसे गालियां दी फरियादी ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसे पत्थर से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर की जहां अपराध क्रं0 21/14 दर्ज कर फरियादी का मेडिकल परीक्षण

कराया, नक्शामौका बनाया तथा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया हैं।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भादस० की धारा 324 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में आरोपी ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया हैं।।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 29.01.2014 को समय 8:00 बजे, स्थान ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में तलाईपुरा, फरियादी नरसिंह के घर के पास तीखे पत्थर से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में नरसिंह (अ.सा.1), जगदीश कलमे (अ.सा.2) के कथन कराये है।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में नरसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि, लगभग दो वर्ष पहले रात्रि लगभग 8 बजे भाग दोड में वह जमीन पर पड़े हुये पत्थर पर गिर गया था जिससे उसे उसके सिर में चोट आयी थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर की थी जिस पर अगुंठा लगाया था साक्षी को प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पर अगुंठा निशानी होने से पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा उसे सिर पर पत्थर फेककर मारपीट करने से इंकार किया गया हैं यहां तक की पुलिस कथन प्र०पी० 3 में भी आरोपीगण द्वारा उसे पत्थर से मारपीटकर छोटे पहुंचाने की बात पुलिस को बताने से स्पष्ट इंकार किया है। फरियादी ने स्वीकार किया है कि, उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है किन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि, राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

8. जगदीश कलमें (अ.सा.2) का कथन है कि, दि० 30.01.2014 को फरियादी नरसिंह ने थाना अंजड पर आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्र०पी० 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने उक्त रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा पत्थर मारने की बात मन से लिखी हैं।

9. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने आरोपीगण से राजीनामा किया हैं तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो आरोपीगण के विरुद्ध भादस० की धारा 324 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित

नहीं किया जा सकता है।

10. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपीगण रामसिंग पिता जगन एवं जामसिंग पिता जगन को भा0द0सं0 की धारा 324 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में कोई भी सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है। आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादसं0 की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही /—

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी